न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 65 / 2017, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

उनवान

1. लछमा पुत्री सुखदेवा पत्नि रामपाल जाति मीना निवासी अनौपपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

प्रार्थीया

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामधन जाति मीना निवासी राणौली तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. शंकर पुत्र सुखदेवा जाति मीना निवासी राणौली तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।
4. गोवर्धन लाल शर्मा उप जिलाधीश रामगढ पचवारा जिला दौसा ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अन्तर्गत धारा 235 रा0 का0 अधिनियम बाबत ट्रांसफर करने दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी जगदीश बनाम शंकर आदि।

उपस्थिति : श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।
: श्री सीताराम मीना अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांक 29.1.2018

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि न्यायालय उप जिलाधीश रामगढ पचवारा में एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण उनवानी जगदीश बनाम शंकर विचाराधीन है। उक्त केस में न्यायालय उप जिलाधीश रामगढ पचवारा से प्रार्थीया को न्याय की आशा नही है। इसलिये प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालम में स्थानान्तरण हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश रामगढ पचवारा से टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 14.12.2017 को प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करने पर प्रार्थीया की एकतरफा मंसूखी कार्यवाही के आर्डर की आर्डरशीट पत्रावली से गायब है। प्रार्थीया ने बमुश्किल प्रकरण में अपना पक्ष रखते हुये किसी तरह कार्यवाहक पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थीया का प्रकरण लछमा बनाम शंकर आदि भी जैरकार होने की बात कही तथा उक्त दोनो प्रकरण एक ही विषय वस्तु के होने से एक साथ मैरिट पर सुनवाई करने के लिये निवेदन किया तब पीठासीन अधिकारी ने कहा कि तुम्हारे मुकदमे में कार्यवाही बाद में होगी पहले जगदीश बनाम शंकर का फैसला सुनाया जायेगा। प्रार्थीया ने दावे में आर्डर 7 रूल 11 जा0 दी0 प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु पत्रावली तारीख पेशी पर लाने हेतु निवेदन किया, लेकिन पीठासीन

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अधिकारी ने कहा कि तुम फैसला ही सुन लेना और मौखिक रूप से भी तारीख बताकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र लेने से इंकार कर दिया। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी न्यायालय रामगढ पचवारा की कार्यशैली से प्रार्थीया को न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सं0 1 पीठासीन अधिकारी को जानता तक नहीं है। प्रार्थीया ने जो आरोप लगाये है वे बेबुनियाद है। प्रार्थीया द्वारा प्रकरण में देरी करने व लम्बित रखने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीया द्वारा पूर्व में भी प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है जो खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तु प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा को प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने में कोई आपत्ति नही है। प्रार्थीया को प्रकरण के निस्तारण की प्रक्रिया में उत्पन्न संदेह की स्थिति को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा में में विचाराधीन प्रकरण जगदीश बनाम शंकर वाद मुकदमा नं0 65/09 एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नं0 45/09 से सम्बन्धित पत्रावली को सुनवाई हेतु न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट में स्थानान्तरित किया जाता है। उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा उक्त उनवानी प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली अविलम्ब न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट को भिजवाना सुनिश्चित करे। उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा एवं लालसोट को पालना हेतु तहरीर जारी की जावे। उभयपक्ष दिनांक 19.2.2018 को न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट में उपस्थित होवे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.1.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा